जय प्रकाश तिवारी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या. 2018 का 704.

उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.05.2017 से मध्य प्रदेश की प्रिंसिपल सीट जबलपुर में सीआरए नंबर 1870 में 2005.

कौस्तुभ ए., अश्विन कुमार नायर, विकास उपाध्याय, अधिवक्ता। के लिए अपीलकर्ता. डी पशुपति नाथ राज़दान, मिर्ज़ा कायेश बेग, प्रखर श्रीवास्तव, सुश्री स्नेह बैरवा, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया इ एन. वी. रमण, मुख्य न्यायाधीश

1. वर्तमान अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 1870/2005 में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2017 से उत्पन्न हुई है। उच्च न्यायालय ने सत्र परीक्षण संख्या 119/2003 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सीधी द्वारा पारित दिनांक 18.08.2005 के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 307 के तहत उसकी सजा की पुष्टि की गई थी और शस्त्र अधिनियम, 1959 (' शस्त्र अधिनियम ') की धारा 25 और 27 ।

2. अपीलकर्ता को तीन साल की सजा सुनाई गई:- आईपीसी की धारा 307 के तहत 500/- रूपये जुर्माने के साथ कठोर कारावास । उन्हें शस्त्र अधिनियम की धारा27 के तहत 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास और शस्त्र अधिनियम की धारा25 के तहत 500 रुपये के जुर्माने के साथ एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अपीलकर्ता ने लगभग 1 वर्ष, 7 महीने की सजा काट ली है और वर्तमान अपील की लंबित अवधि के दौरान इस न्यायालय द्वारा उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि, 14.02.2003 को लगभग 10:30 बजे, अपीलकर्ता और सह आरोपी शिकायतकर्ता के घर गए और उसे बाहर बुलाया। जब शिकायतकर्ता बाहर आया, तो अपीलकर्ता ने उस पर देशी पिस्तौल से गोली चला दी। कहा जाता है कि शिकायतकर्ता (पीडब्लू2) घर में भाग गया और चोट लगने से बच गया, जबकि अपीलकर्ता और सह अभियुक्त अपनी मोटरसाइकिल पर मौके से भाग गए। घटना के समय शिकायतकर्ता की मां (पीडब्लू3) कथित तौर पर घर में मौजूद थी और गोलियों की आवाज सुनकर शिकायतकर्ता के पड़ोसी (पीडब्लू1, पीडब्लू10, पीडब्लू11) वहां पहुंचे। कथित घटना में इस्तेमाल की गई बन्दूक, एक खाली कारतूस के साथ, अपीलकर्ता के पास से बरामद की गई है।

4. अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता और सहआरोपी पर आईपीसी की धारा 307/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1 बी) (ए) और धारा 27(1) के तहत आरोप लगाया ।रिकॉर्ड पर सबूतों के अवलोकन और गवाहों की जांच के बाद, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जबकि सह-अभियुक्त को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा था। दिनांक 26.05.2017 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। व्यथित होकर,अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति के माध्यम से अपील में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अभियोजन का पूरा मामला शिकायतकर्ता (पीडब्लू 2) की गवाही और उसकी मां (पीडब्लू 3) की सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है, जो एक इच्छुक गवाह है, और इसमें

कोई पुष्टिकारक नहीं है। अपनी गवाही का समर्थन करने के लिए साक्ष्य या स्वतंत्र गवाह। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि घटना और बंदूक की कथित बरामदगी दोनों के अभियोजन पक्ष के गवाह मुकर गए हैं। उन्होंने यह बताने के लिए आईओ (पीडब्लू9) की गवाही पर भी भरोसा किया है कि घटना स्थल से कोई खाली कारतूस या छर्रे बरामद नहीं हुए थे, जो अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करता है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता की पुलिस विभाग के साथ घनिष्ठ सांठगांठ है क्योंकि उसके पिता एक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर हैं और उसके भाई और बहन भी पुलिस अधिकारी हैं। उनका यह भी कहना है कि शिकायतकर्ता के अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा कोई गवाह पेश नहीं किया गया है जिसने अपीलकर्ता को घटना स्थल पर देखा हो।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील ने नीचे दी गई अदालतों द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के समवर्ती निर्णयों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता (पीडब्लू2) और उसकी मां (पीडब्लू3) के बयानों पर भरोसा करने में कोई त्रुटि नहीं है, जिनकी गवाही बैलिस्टिक साक्ष्य और अपीलकर्ता के पास से बन्दूक और खाली कारतूस की जब्ती से पुष्ट होती है।

7. गुण–दोष के आधार पर विद्वान वकील को सुना और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

8. अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता और उसकी मां के बयान पर दृढ़ता से भरोसा करता है। शिकायतकर्ता के बयान पर गौर करने से पता चलता है कि आरोपी अपीलकर्ता उसके घर के सामने आया था और यह पूछने पर कि वे यहां क्यों आए हैं, आरोपी अपीलकर्ता और उसका साथी चुप रहे। शिकायतकर्ता ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा. इसके बाद, आरोपी ने कथित तौर पर अपनी देशी पिस्तौल निकाली और शिकायतकर्ता पर गोली चला दी। इसके बाद आरोपी और उसका साथी अपनी बाइक से भाग गए। शिकायतकर्ता पहले ही घर के अंदर भाग चुका था और इसलिए, सुरक्षित था। इसके बाद, शिकायतकर्ता की मां और उसके तीन पड़ोसी घटना स्थल पर आए।

9. रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि, शिकायतकर्ता और उसकी मां के अलावा, अन्य स्वतंत्र गवाहों अर्थात् रजत शुक्ला (पीडब्लू1), अमित भसीन (पीडब्लू10) और विकास शुक्ला (पीडब्लू11) ने घटना को देखने से इनकार किया है।यहां तक कि सब–इंस्पेक्टर राहुल शर्मा (पीडब्ल्यू 9) ने अपनी जिरह में कहा है कि उपरोक्त गवाहों ने सीआरपीसी की धारा161 के तहत अपने पुलिस बयानों के दौरान संकेत दिया था कि उन्होंने आरोपी अपीलकर्ता को गोली चलाते हुए नहीं देखा था।

10. उपरोक्त परिस्थितियों में, शिकायतकर्ता की गवाही के अलावा, घटनास्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति को साबित करने के लिए एकमात्र सबूत, उसकी मां, पीडब्लू 3 की गवाही है। हालाँकि, अभियुक्त की ओर से वकील ने तर्क दिया है कि उपरोक्त गवाह की गवाही पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वह एक "इच्छुक" गवाह है, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक करीबी रिश्तेदार को स्वचालित रूप से एक के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता है। "रुचि रखने वाला" गवाह। हालाँकि, यह सामान्य बात है कि संबंधित गवाहों के बयानों की भी अधिक सावधानी से जांच करने की आवश्यकता है। ***[भास्करराव बनाम महाराष्ट्र राज्य , (2018) 6 एससीसी 591; राजस्थान राज्य बनाम मदन , (2019) 13 एससीसी 653]***

11. उपरोक्त संदर्भ में शिकायतकर्ता (पीडब्लू2) और शिकायतकर्ता की मां (पीडब्ल्यू3) के बयान पर ध्यान देना उचित है:–

<u>पीडब्लू 2</u>

<u>के एग्ज़ामिनेशन–इन–चीफ में, पीडब्लू 2 द्वारा कहा गया है कि</u>:

> "... 14 फरवरी 2003 को रात 10.30 बजे, मैं अपने घर पर था। उसी समय जयप्रकाश और पिंटू मोटरसाइकिल से मेरे घर के सामने आये और दो बार हॉर्न बजाया, जिसके बाद मैं बाहर आ गया. जब

मैं अपने घर के बाहर आया तो मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट पर पिंटू दुबे और पीछे की सीट पर मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ जयप्रकाश था। मैंने पिंटू से पूछा कि आने का मकसद क्या है, तो उसने जवाब दिया कि मुझे जयप्रकाश अपने साथ लाया है, उसी से पूछो. तो मैंने जयप्रकाश से पूछा था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया. ऐसा लगा कि जयप्रकाश नशे में है इसलिए मैंने उनसे जाने के लिए कहा और कहा कि मैं उनसे बाद में बात करूंगा। तभी पिंटू ने बाइक दौड़ा दी। जैसे ही पिंटू ने बाइक दौड़ाई, उसी समय जयप्रकाश ने देशी पिस्तौल निकालकर मुझ पर गोली चला दी और वे गाली–गलौज करते हुए चले गये थे. तब तक मैं भाग कर घर में घुस चुका था.

इसके बाद मोहल्ले के दो तीन लोग आ गए। मेरी माँ भी आई हुई थी. वहां मेरे पड़ोसी अमित भसीन, विकास शुक्ला, रजत शुक्ला आये थे. मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, तो मैंने उन्हें घटना के बारे में बताया।

पीडब्लू 3

के एग्ज़ामिनेशन–इन–चीफ में, पीडब्लू 3 द्वारा यह कहा गया है कि:

"...घटना 14 फरवरी 2003 की रात करीब 10.30 बजे की है. मैं अपने घर पर था. बाहर से लड़कों की आवाज़ आई थी, मोटरसाइकिल की आवाज़ भी आई थी। बाहर से आवाज आ रही थी कि–संदीप बाहर आओ, इस पर संदीप बाहर चला गया था। मैंने भी उसका पीछा किया था. मोटरसाइकिल पर दो लड़के बैठे थे, मोटरसाइकिल स्टार्ट थी. ऐसा लग रहा था मानों कोई ऊंची आवाज में गाली दे रहा हो और बातचीत के दौरान ही गोली चला दी हो. इसलिए गोली चलने पर संदीप तुरंत अंदर आ गया था।"

जिरह में, PW 3 द्वारा कहा गया है कि:

"मैं पहले बरामदे में था। **मैं बाहर आया ही था कि गोली की आवाज सुनी.** बरामदा खुला है जहाँ से बाहरी दृश्य दिखाई देता है। यह कहना सही नहीं है कि मैंने केवल धमाका सुना था...और मैंने इसे देखा भी था।"

फिर दोबारा जिरह में कहा गया:–

"... . **मैं आरोपियों से पहले से परिचित नहीं था**. यह कहना सही नहीं है कि मैंने घटना नहीं देखी है... "

(जोर दिया गया)

12. गौरतलब है कि शिकायतकर्ता का साफ कहना है कि घटना के बाद उसकी मां मौके पर आई थी. दूसरी ओर, मुख्य जांच में उसकी मां ने कहा कि जब शिकायतकर्ता बाहर जाता था तो वह उसका पीछा करती थी और इसलिए उसने घटना देखी। अपनी जिरह में उसने बताया कि जब उसने गोली की आवाज सुनी तो वह बाहर आई। हालाँकि, उसने बरामदे से घटना देखी।

13. विरोधाभासों को छोड़कर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि घटना रात के लगभग 10:30 बजे हुई थी। यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि आरोपी और पीडब्लू3 इस हद तक परिचित थे कि वह उसे क्षण भर में

पहचान सकती थी जब वह अपनी बाइक पर तेजी से भाग रहा था। वह आरोपी अपीलकर्ता की कोई भी पहचान योग्य विशेषताएं प्रदान करने में भी विफल रही। वास्तव में, वह विशेष रूप से कहती है कि वह आरोपी व्यक्तियों से परिचित नहीं थी। यह बेहद असंभव लगता है कि शिकायतकर्ता की मां, पीडब्लू3 ने रात में अपीलकर्ता–अभियुक्त को तुरंत पहचान लिया। आरोपी अपीलकर्ता को कथित घटना से जोड़ने के लिए पहचान परीक्षण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता की मां, पीडब्लू 3 के बयान की बारीकी से जांच करने के बाद, हमें यह कहना होगा कि यह विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

14. उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट ने आरोपी अपीलकर्ता के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक देशी पिस्तौल की बरामदगी पर बहुत जोर दिया है।

15. इस संदर्भ में, जब्ती के गवाह पीडब्लू5 और पीडब्लू8 के बयानों पर ध्यान देना उचित है:

एक्जामिनेशन–इन–चीफ में पीडब्लू 5

के बयान में कहा गया है कि:–

"पुलिस ने जयप्रकाश को पकड़ा था और उसकी तलाशी में एक देशी पिस्तौल मिली थी... मुझे याद नहीं है कि कोई दस्तावेजीकरण किया गया था या नहीं। तब जयप्रकाश को हवालात में बंद कर दिया गया था और मैं वापस लौट आया था. मुझसे पहले पुलिस ने कोई वाहन जब्त नहीं किया था.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस स्तर पर, एजीपी ने गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित करते हुए उससे प्रमुख प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी थी... मुझे आज यह याद नहीं है कि मेरे सामने आरोपी जयप्रकाश से मोटरसाइकिल जब्त की गई थी या नहीं।

जिरह में कहा गया है कि:–

"मैं संदीप उपाध्याय को जानता हूं। मेरे उसके साथ अच्छे संबंध हैं... जब पुलिस ने कार्यवाही की थी तब जयप्रकाश के पड़ोसी मौजूद नहीं थे, फिर उन्होंने कहा कि लोग वहां थे लेकिन वह उन्हें नहीं जानते। जयप्रकाश के किसी भी पड़ोसी ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे. पुलिस ने जयप्रकाश के पड़ोसियों को नहीं बुलाया था."

एक्जामिनेशन–इन–चीफ में **पीडब्लू 8** का बयान:–

पुलिस ने आरोपी के पास से एक देशी पिस्तौल बरामद की है. **पिस्तौल के अलावा कोई अन्य वस्तु मेरे सामने जब्त नहीं की गई थी और न ही आरोपी ने मेरी उपस्थिति में इसे जब्त करने की बात कही थी।**

यह कहना सही नहीं है कि मुझसे पहले आरोपी जयप्रकाश के पास से एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिस पर एमपी 17 एमबी 9735 लिखा था, जब्त नहीं की गई थी।

(जोर दिया गया)

16. उपनिरीक्षक राहुल शर्मा (पीडब्लू 9) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि आरोपी अपीलकर्ता के प्रकटीकरण बयान के आधार पर कथित मोटरसाइकिल और देशी पिस्तौल शिकायतकर्ता के घर से जब्त की गई थी। हालाँकि, जब्ती के गवाहों (पीडब्लू 5 और पीडब्लू 8) ने इसके संबंध में अलग–अलग बयान दिए हैं। वास्तव में, PW 5 ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाइक की कोई बरामदगी नहीं हुई थी, और इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा उसे शत्रुतापूर्ण

घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा, हालांकि PW 8 ने कहा है कि पिस्तौल के अलावा कोई अन्य चीज जब्त नहीं की गई थी, उन्होंने यह कहकर खुद का खंडन किया कि वास्तव में एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जब्त की गई थी। पीडब्लू8 के बयान में उपरोक्त विरोधाभास को मामूली नहीं कहा जा सकता। इसलिए, वही आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

17. यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि मौके से कोई गोली, खाली कारतूस या बारूद का कोई अवशेष बरामद नहीं हुआ है. बैलिस्टिक रिपोर्ट के अभाव में, जब्त हथियार और कथित घटना के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने भी मोटरसाइकिल का अस्पष्ट विवरण दिया था। शिकायतकर्ता द्वारा न तो लाइसेंस नंबर, न ही रंग या कोई अन्य विशिष्ट विशेषताएं बताई गई हैं। यहां भी, जब्त वाहन और कथित घटना के बीच कोई संबंध नहीं है।

18. एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो वर्तमान अपील में विचार करने योग्य है, वह यह है कि आरोपी अपीलकर्ता ने अपने धारा 313 के बयान में कहा कि वह और शिकायतकर्ता विरोधी छात्र दलों से थे। आरोपी अपीलकर्ता ने दावा किया कि चुनाव से संबंधित दुश्मनी के कारण, आरोपी अपीलकर्ता को मामले में झूठा फंसाया गया था। उसने अपनी अन्यत्र उपस्थिति साबित करने के लिए दो गवाह भी पेश किए। DW1 और DW2 ने कहा है कि आरोपी अपीलकर्ता अपने गाँव में था क्योंकि उसकी माँ अस्वस्थ थी। इसके अलावा, आरोपी अपीलकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि शिकायतकर्ता के पिता, बहन और भाई सभी पुलिस विभाग का हिस्सा थे। आरोपी अपीलकर्ता ने अदालत के ध्यान में यह तथ्य भी लाया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ एक और आपराधिक मामला भी दर्ज किया था जिसमें वह पहले ही बरी हो चुका है।

19. मौजूदा मामले में, अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक संस्करण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा313 एक आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मूल्यवान अधिकार प्रदान करती है और इसे वैधानिक अधिकार से परे, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के संवैधानिक अधिकार के रूप में माना जा सकता है ***[रीना हजारिका बनाम असम राज्य***, (2019) 13 एससीसी 289]

20. इस न्यायालय ने **सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य**, (2021) 6 एससीसी 1 के मामले में , धारा 313 सीआरपीसी के महत्व पर जोर देते हुए , ट्रायल कोर्ट के कर्तव्य को चित्रित किया है और इस प्रकार कहा है:

> "**22.** यह गंभीर चिंता का विषय है कि, अक्सर, निचली अदालतो मे सीआरपीसी की धारा 313 के तहत किसी आरोपी का बयान बहुत ही अनौपचारिक और सरसरी तरीके से दर्ज करती हैं, बिना आरोपी से उसके बचाव के बारे में विशेष रूप से पूछताछ किए बिना। **यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीआरपीसी की धारा313 के तहत किसी आरोपी से पूछताछ को महज प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह निष्पक्षता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रावधान प्राकृतिक न्याय के मूल्यवान सिद्धांत – "ऑडी अल्टरम पार्टम" को शामिल करता है, क्योंकि यह आरोपी को उसके खिलाफ दिखाई जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री के लिए स्पष्टीकरण देने में सक्षम बनाता है। इसलिए, यह अदालत पर यह दायित्व डालता है कि वह अभियुक्त से निष्पक्षता, सावधानी और सावधानी के साथ पूछताछ करे। अदालत को अभियुक्त के सामने आपत्तिजनक परिस्थितियाँ रखनी चाहिए और उसकी प्रतिक्रिया माँगनी चाहिए।** अभियुक्त के वकील पर यह भी कर्तव्य है कि वह मुकदमे की शुरुआत से ही उचित सावधानी के साथ अपना बचाव तैयार करे..."
>
> (जोर दिया गया)

21. उपर्युक्त उदाहरणों के संदर्भ में, बचाव के साक्ष्यों पर एक नज़र डालना अनिवार्य है:

"अभियुक्त क्रमांक 1

से पूछताछ Q3 दिनांक 14.2.03 को रात्रि लगभग 10:30 बजे आप अभियुक्त एवं सह अभियुक्त पिंटू उर्फ पदमधर दुबे उत्तर के अर्जुन नगर स्थित शिकायतकर्ता संदीप उपाध्याय (पीडब्लू2) के घर आये थे। करोड़ोदिया हीरो होंडा मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 17 बी/9795। आप क्या कहते हैं?

उत्तर:– **यह ग़लत है. मैं गांव गया था.**

अभियुक्त की बचाव याचिका

जब अभियुक्त जय प्रकाश तिवारी पुत्र गिरिजा प्रसाद तिवारी को अपने बचाव में आने के लिए बुलाया गया तो उसने कहा कि:–

मैंने कॉलेज के चुनाव में संदीप के उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं दिया था। संदीप एनएसयूआई के पक्ष में थे, मैं विद्यार्थी परिषद के पक्ष में था। **इसी वजह से मुझे झूठा फंसाया गया है.'**

अभियुक्त से यह पूछने पर कि क्या उसे बचाव साक्ष्य देना होगा तो वह कहता है कि : मुझे बचाव साक्ष्य देना है.

DW1 परीक्षा प्रमुख का बयान

1. मैं आरोपी जयप्रकाश और उसके माता–पिता को जानता हूं। उनका घर माटा में है; सीधी के करौदिया में; ग्राम अमाहाटोला और हनुमानगढ़, वेलदह में भी। 14.02.2003 को, मैं 9–9:15 बजे उत्तर करौदिया में आरोपी के घर पहुंचा और उसे मोटरसाइकिल पर ग्राम माटा में उसके घर ले गया क्योंकि उसकी माँ ग्राम माटा में बीमार पड़ गई थी। हम 11.30 बजे माता पहुँच गये थे। तब जय प्रकाश तिवारी ने करीब 12 बजे जन स्वास्थ्य रक्षक को बुलाकर अपनी मां का इलाज कराया था. 15 तारीख को सुबह तक उनकी मां को ड्रिप लगाई गई थी और उस वक्त जयप्रकाश के साथ दो–चार लोग भी थे.

DW2 परीक्षा प्रमुख का बयान

1. मैं आरोपी जयप्रकाश को जानता हूं. उनका घर सीधी और माटा में भी है। दिनांक 14.2.2003 को जयप्रकाश ग्राम माटा में था। जय प्रकाश की माँ उल्टी–दस्त से पीड़ित थी इसलिए मेरी जानकारी के अनुसार जय प्रकाश दिनांक 15.2.2003 को रात्रि 11 बजे से दूसरे दिन प्रातः 8 बजे तक ग्राम माटा में था।

2. मैंने स्वयं जयप्रकाश को उसके घर जाते देखा था। मैं जयप्रकाश का पड़ोसी हूं. जय प्रकाश को शंकरदयाल ने सीधी से माता बुलाया था क्योंकि जय प्रकाश की माँ की तबियत ठीक नहीं थी। 4 6 दिन बाद मैंने सुना कि उक्त तारीख की किसी घटना के लिए जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है।"

(जोर दिया गया)

22. वर्तमान मामले में, अभियुक्त ने परीक्षण के दौरान स्वयं बताया था कि वह घटना के दिन अपने गांव गया था। अपने मामले का समर्थन करने के लिए, उन्होंने बचाव पक्ष के दो गवाहों को पेश किया जिन्होंने गाँव में उनकी उपस्थिति की पुष्टि की है। इसके अलावा, आरोपी ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मामले में झूठा फंसाए जाने का दावा किया। हालाँकि, बचाव पक्ष की उपरोक्त दलील की जाँच किए बिना, ट्रायल कोर्ट ने कहा:

> "10. **अभियुक्त जयप्रकाश तिवारी ने अपने परीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है. अभियोजन पक्ष के गवाह या उसके झूठे फंसाने का कोई अन्य कारण या मकसद नही था ।** शिकायतकर्ता संदीप के साक्ष्य की पुष्टि अमित भसीन_पीडब्लू_10 और विकास पीडब्लू11 के साक्ष्य से

होती है जो घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे और ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता संदीप उपाध्याय और अन्य अभियोजन गवाहों के साक्ष्य विश्वसनीय हैं और यह साबित होता है उनका साक्ष्य है कि घटना दिनांक को अभियुक्त जयप्रकाश तिवारी ने शिकायतकर्ता संदीप उपाध्याय पर आग्नेयास्त्र कट्टा से ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाई थी कि यदि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त जयप्रकाश तिवारी हत्या का दोषी होता।"

(जोर दिया गया)

23. इसी तरह, ट्रायल कोर्ट ने अन्यत्र सबूत को महत्व देने से इनकार कर दिया। बचाव पक्ष के गवाहों पर अविश्वास करते हुए ट्रायल कोर्ट ने कहा:

"14. **<u>ऐसी स्थिति में अभियुक्त की बचाव याचिका बाद में सोची गई प्रतीत होती है।</u>** बचाव पक्ष के गवाह शंकरदयाल मिश्र _DW_। और कृष्णकुमार तिवारी _PW2 के साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों •गवाह अभियुक्तों के पड़ोसी और एक ही गांव के निवासी हैं। किसान होने के नाते और दो साल के अंतराल के बाद उन्हें घटना की तारीख याद आई है. **<u>ऐसा प्रतीत होता है कि ये गवाह अपने गांव में आरोपी की मौजूदगी बताकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं।</u>**

(जोर दिया गया)

24. उच्च न्यायालय उपरोक्त बयानों और सबूतों का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किए बिना ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को बरकरार रखता है। उच्च न्यायालय का मानना है कि:

"22. यह न्यायालय विद्वान ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से सहमत है कि, अपीलकर्ता द्वारा किए गए बचाव में किसी भी अभियोजन गवाह का सुझाव नहीं दिया गया है, न ही अपीलकर्ता द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा313 के तहत अपने आरोपी बयान के दौरान कहा गया है। अपीलकर्ता द्वारा अन्यत्र छोड़ने का अनुरोध विचारोपरांत किया गया है। इसलिए, अन्यत्र अपील के संबंध में अपीलकर्ता के पक्ष में कोई लाभ नहीं दिया गया है। इस प्रकार, आईपीसी की धारा 307 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है।"

25. वर्तमान मामले में, नीचे की अदालतें धारा313 के बयान में अपीलकर्ता द्वारा पेश किए गए बचाव संस्करण की जांच करने में विफल रहीं। संहिता की धारा 313 का उद्देश्य अदालत और अभियुक्त के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। ***(असरफ अली बनाम असम राज्य***, (2008) 16 एससीसी 328)

26. धारा 313 सीआरपीसी का उद्देश्य अभियुक्त को मुकदमे के दौरान उसके खिलाफ उभरी प्रतिकूल परिस्थितियों को समझाने का उचित अवसर प्रदान करना है। एक उचित अवसर में सभी प्रतिकूल साक्ष्यों को प्रश्नों के रूप में रखना शामिल है ताकि आरोपी को अपना बचाव स्पष्ट करने और अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर मिल सके।

27. यदि सभी परिस्थितियों को एक साथ जोड़ दिया जाए और अभियुक्त को खुद को समझाने के लिए एक ही अवसर प्रदान किया जाए, तो वह तर्कसंगत और समझदार स्पष्टीकरण देने में सक्षम नहीं हो सकता है। ऐसे, जो उचित अवसर को परास्त कर देते हैं, वे कोरी औपचारिकता के अलावा और कुछ नहीं हैं। धारा 313 की सच्ची भावना की पूर्ति न होने से अंततः अभियुक्त पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और न्यायालय को निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी आवश्यक तथ्यों और परिस्थितियों का लाभ नहीं मिल सकता है।

28. इस तरह की चूक वास्तव में मुकदमे को ख़राब नहीं करती, जब तक कि अभियुक्त यह साबित करने में विफल न हो जाए कि उसके साथ गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। हालाँकि अभियुक्त की ओर से वकील ने व्यक्तिगत परिस्थितियों को तय करने में न्यायालय की विफलता के कारण उस पर हुए किसी गंभीर पूर्वाग्रह को साबित नहीं किया है; हालाँकि, मामले के लंबे समय तक लंबित रहने और आरोपी के निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई के अधिकार को देखते हुए, हम मामले को आगे बढ़ाने और अपनी योग्यता के आधार पर निर्णय लेने का प्रस्ताव करते हैं।

29. यह आपराधिक कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। जहां एक अभियुक्त बचाव स्थापित करता है या स्पष्टीकरण पेश करता है, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उसे उचित संदेह से परे अपने बचाव को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर। ***[एम. अब्बास बनाम केरल राज्य, (2001) 10 एससीसी 103***]। इसके अलावा **परमिंदर कौर बनाम पंजाब राज्य , *(2020) 8 एससीसी 811*** में इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि *"एक बार धारा 313 सीआरपीसी परीक्षा चरण में बचाव में एक प्रशंसनीय संस्करण सामने रखा गया है , तो यह अभियोजन पक्ष के लिए है ऐसी बचाव याचिका को अस्वीकार करने के लिए"।*

30. इसके अलावा, अभियुक्तों के बचाव पर विचार करना निचली अदालतों का गंभीर कर्तव्य है। इस पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए और न्यायाधीश द्वारा दिमाग लगाकर इसकी जांच की जानी चाहिए। न्यायालय इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, हालाँकि ऐसा सरसरी तौर पर नहीं किया जा सकता। तर्क और दिमाग का प्रयोग लेखन में प्रतिबिंबित होना चाहिए। हालाँकि, ऊपर की गई टिप्पणियों से, यह स्पष्ट है कि नीचे की अदालतें इस गंभीर कर्तव्य को निभाने में विफल रही हैं। बल्कि अभियुक्तों की गवाही को कोर्ट ने कैजुअल तरीके से निपटाया है.

31. उपरोक्त परिस्थितियों में, जब शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयानों की पुष्टि करने वाले स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव है, कथित मोटरसाइकिल और देशी पिस्तौल की बरामदगी के संबंध में गंभीर संदेह, कथित बरामद वस्तुओं और कथित घटना के बीच कोई संबंध साबित नहीं हुआ है, और आरोपी अपीलकर्ता द्वारा अपने धारा313 के बयान में दिए गए विश्वसनीय संस्करण का अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है, आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ मामला कायम नहीं रखा जा सकता है।

32. अनाज को भूसी से अलग करना और सबूतों के ढेर से सच्चाई निकालना अदालत का कर्तव्य है। हमारी राय में, अभियोजन का मामला केवल अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है। उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट आरोपियों को दोषी ठहराने का फैसला सुनाते समय उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करने में विफल रहे। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए सबूत अपीलकर्ता के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए अपर्याप्त हैं।

33. इन कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता के खिलाफ पारित दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है। अपीलकर्ता को जमानत बांड से मुक्त कर दिया गया है।